न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्त्ति अपील वाद सं0–08/2017–18 दयानन्द झा बनाम राज्य (अनुमंडल पदा0,गोगरी)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
03.04.2018	***आदेश*** प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 08/2017–18 दयानन्द झा पिता प्रदीप झा, ग्राम+पो0–कबेला थाना–परवत्ता, जिला खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1772/ दिनांक 06.06.2017 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि दिनांक 30.04.2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अपीलार्थी की दूकान की जांच अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा की गयी और तबियत अत्यधिक खराब होने के कारण वे किसी भी पंजी को दिखाने में असमर्थ रहे। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि वे दिनांक 15.04.2016 से ही अपने ईलाज हेतु भागलपुर में थे जिसका चिकित्सीय प्रमाण पत्र उन्होंने संलग्न किया है। उनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 1720 दिनांक 16.05.17 से निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। 1. निरीक्षण के समय भंडार पंजी एवं वितरण पंजी नहीं दिखाया गया 2. भंडार पट्ट एवं सूचना पट्ट पूराना है एवं अद्यतन नहीं पाया गया। 3. भंडार में ताला लगा रहने के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका। 4. उपभोक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं है। 5. उपभोक्तओं द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा तथा निर्धारित वजन से कम खाद्यान्न दिया जाता है तथा उपभोक्तओं को कैशमेमो नहीं दिया जाता है। उपरोक्त के आलोक में उनके द्वारा 05.06.17 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि तबियत अत्यधिक खराब रहने के कारण किसी भी पंजी दिखाने में असमर्थ रहे। भंडार पट्ट एवं सूचना पट्ट पर प्रत्येक दिन अद्यतन संधारित किया जाता है पुराना रहने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा होगा। तबियत काफी खराब रहने एवं नर्भस हो जाने के कारण निरीक्षण के समय दूकान बन्द	

था और वे बेसुध पड़े थे। उपभोक्ताओं के साथ उनका व्यवहार काफी कुशल रहता है। प्रत्येक माह के आवंटन उठाव कर ससमय दुकान खुली रखकर वितरण करते हैं। वितरित कूपन एवं दर्ज मात्रा वो दर पर राशन कार्ड के अनुसार प्रत्येक उपभोक्तओं को उचित माप एवं उचित दर पर वितरण करते हैं। साथ ही आपूर्ति की गयी सामग्रियों केशमेमो भी लाभूक को देते हैं और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1772 दिनांक 06.06.2017 से उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया जो केवल कल्पना और अनुमान पर आधारित है किसी भी जॉच पर आधारित नहीं है। उनके द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा अनमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक ज्ञापांक 1772 दिनांक 06.06.2017 से पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवंटन चालू करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 30.04.2017 को पूर्वा0 11.00 बजे श्री दयानन्द झा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ग्राम कबेला प्रखंड परवत्ता की दूकान की जांच की गयी और जॉचोपरान्त निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी:–

1. निरीक्षण के समय भंडार पंजी एवं वितरण पंजी नहीं दिखाया गया
2. भंडार पट्ट एवं सूचना पट्ट पूराना है एवं अद्यतन नहीं पाया गया।
3. भंडार में ताला लगा रहने के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका।
4. उपभोक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं है।
5. उपभोक्तओं द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा तथा निर्धारित वजन से कम खाद्यान्न दिया जाता है तथा उपभोक्तओं को कैशमेमो नहीं दिया जाता है।

उपरोक्त वर्णित आरोपों पर जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री दयानन्द झा से स्पष्टीकरण की मांग ज्ञापांक 1720 दिनांक 16.05.2017 के माध्यम से की गयी। और उक्त के आलोक में दिनांक 05.06.2017 से स्पष्टीकरण दिया गया जो असंतोषप्रद पाया गया और जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा बरती गयी अनियमितता तथा स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने के कारण श्री दयानन्द झा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ग्राम पंचायत राज कबेला प्रखंड–परबत्ता जिला–खगड़िया के अनुज्ञप्ति सं0 14 पी0/ 2007 को आदेश ज्ञापांक 1772 दिनांक 06.06.2017 से तत्काल प्रभाव से

रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना था कि बिक्रेता के तबियत ज्यादा खराब रहनें के कारण उनके द्वारा पंजी नहीं दिखाया जा सका। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्पष्ट उल्लेख किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश केवल कल्पना और अनुमान पर आधारित है और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद किसी भी जाँच पर आधारित नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा परित आदेश को निरस्त किया जाय।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारीज करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा निरीक्षण के समय भंडार पंजी एवं वितरण पंजी नहीं दिखाया जाना, भंडार पट्ट एवं सूचना पट्ट अद्यतन नहीं रहना, भंडार में ताला लगा रहना जिसके कारण सत्यापन नहीं किया गया, उपभोक्ताओं के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं रहना उपभोक्तओं से निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य लिया जाना, निर्धारित वजन से कम खाद्यान्न दिया जाना तथा उपभोक्तओं को कैशमेमो नहीं दिया जाना अनुज्ञप्ति की शर्तों का घोर उल्लंघन है। अपीलार्थी का यह कथन, कि उपभोक्ताओं के साथ उनका व्यवहार काफी कुशल रहता है। प्रत्येक माह के आवंटन उठाव कर ससमय दुकान खुली रखकर वितरण करते हैं। वितरित कूपन एवं दर्ज मात्रा वो दर पर राशन कार्ड के अनुसार प्रत्येक उपभोक्तओं को उचित माप एवं उचित दर पर वितरण करते हैं। साथ ही आपूर्त्ति की गयी सामग्रियों का केशमेमो भी लाभूक को देते है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके कथन का सत्यापन हो सके।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश, ज्ञापांक 1772 दिनांक 06.06.2015 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 164 / विधि, दिनांक 18/4/2018 प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 18/4/18 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	